राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5816/2021

बाबूलाल माली **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, तृतीय मंजिल, राधा कृष्ण शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, महावीर पार्क के पास, जयपुर।
3. संभागीय शिक्षा अधिकारी, (संस्कृत) ई–179, रमेश मार्ग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.10.2021
आदेश की दिनांक : 04.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस.बेग, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय संस्कृत के पद पर वेतन श्रृंखला 1200–20–1560–40–2000–50–2050 (स्केल नम्बर 9) आदेश दिनांक 12.02.1987 के द्वारा दिया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.1987 को कार्यग्रहण किया। उनका तर्क है कि श्री नाथूलाल दरिया अध्यापक ग्रेड तृतीय जिसे अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 29.05.2004 के द्वारा पदोन्नति दी गई और उक्त पदोन्नति माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 1260/2000 में पारित आदेश की अनुपालना में पदोन्नत किया गया। इसी प्रकार अपीलार्थी के समान कुछ कार्मिकों ने अपील संख्या 02/2009, 04/2009 इत्यादि अधिकरण के समक्ष अध्यापक ग्रेड

द्वितीय के पद पर पदोन्नति के संबंध में अपील प्रस्तुत की और जिसे दिनांक 08.11.2013 के द्वारा विभाग को पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करने हेतु आदेश दिया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा चुनौती दी गई और अधिकरण के आदेश को आदेश दिनांक 25.08.2015 के द्वारा अपास्त कर दिया गया परंतु कुछ कार्मिकों द्वारा एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई, जिसे एकलपीठ के आदेश को अपास्त किया गया और अधिकरण के आदेश को बरकरार/सही माना गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग ने संबंधित कार्मिकों अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 27.02.2020 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की, जिनमें दामोदर प्रसाद शर्मा, सूरजमल शर्मा, सूरजमल जाट, कैलाश चंद शर्मा, सांवरमल इत्यादि जो अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं और उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अधिकरण द्वारा अपील संख्या 02/2009, 09/2009 दिनांक 08.11.2013 को निर्णय पारित कर बी.ए. संस्कृत अपीलार्थी योग्यताधारी शिक्षकों का वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर पदोन्नति करने के आदेश प्रदान किये, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 7274/2014 में आदेश दिनांक 25.08.2015 के द्वारा अधिकरण के आदेश को अपास्त कर दिया गया। परंतु खंडपीठ में स्पेशल अपील संख्या 986/2015 व अन्य 7 अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2018 की अनुपालना में याचिकाकर्ताओं को योग्यता व पात्रता के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर दिनांक 27.02.2020 को पदोन्नति की गई। परंतु पारित आदेशों में याचिकाकर्ता अपीलार्थी नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय संस्कृत के पद पर वेतन

श्रृंखला 1200–20–1560–40–2000–50–2050 (स्केल नम्बर 9) आदेश दिनांक 12.02.1987 के द्वारा दिया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.1987 को कार्यग्रहण किया। जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद पर पदोन्नत किये जाने तथा अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी के समान कुछ कार्मिकों ने अपील संख्या 02/2009, 04/2009 इत्यादि अधिकरण के समक्ष अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति के संबंध में अपील प्रस्तुत की और जिसे दिनांक 08.11.2013 के द्वारा विभाग को पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करने हेतु आदेश दिया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा चुनौती देते हुये रिट संख्या 7274/2014, 7593/2014 प्रस्तुत की गई। जिसके द्वारा अधिकरण के आदेश को पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 के द्वारा अपास्त कर दिया गया, परंतु कुछ कार्मिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के एकलपीठ के आदेश दिनांक 25.08.2015 को माननीय न्यायालय की खण्डपीठ, जयपुर ने डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 986/2015 भुवनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 26.10.2018 के द्वारा एकलपीठ के आदेश को खारिज करते हुए अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा और प्रार्थीगण को उक्त पद पर पदोन्नति हेतु आदेश दिया। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त निर्णय के आधार पर उक्त पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अधिकरण के आदेश दिनांक 21.09.2012 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्डपीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 26.10.2018 के प्रकाश में जिस तिथि से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि नियमानुसार दिए जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य